

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अंज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

नौराम बनाम होट

किस्म मुकदमा :- 1889/राज0 कस्त0 अधि0 1955

प्रकरण संख्या 37 सन् :- 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिवियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1.4.21	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस लतब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपरखण्ड अधिकारी, नसीराबाद 25.5.21 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19.7.21 को पेश हो।</p> <p>आदेशानुसार <i>[Signature]</i> रीडर</p>	<p>1448-50 6/1/21</p> <p>255 21</p>
18.6.21	<p>रुचिबन्ना वकील ने उपज वाद वाद विद्वा. कर्म बाबल पेश कर विवेक किया कि उपरुक्त है आपसी कदमों के बापतिमा है जमा है अतः उपरुक्त है अतः कोई कार्यवाही नहीं माँगा है पत्रावली तलब की जाने वाली व उचितगी के लिये उ के निवेदन पर वाद विद्वा. कर्म बाबल पेश किया गया है। पत्रावली के लिये नोटिस लतब कर दिया है व वाद पत्र दर्ज है।</p>	<p>होट <i>[Signature]</i></p>

उपरखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

